

उत्तर प्रदेश शासन

पाँच वर्ष के लिए वैध है



यह पंजीकरण प्रमाण-पत्र किसी भी प्रकार के नियन्त्रित कच्चे माल/कोयला, फ्यूल, इस्पात आदि की उपलब्धता की गारण्टी नहीं देता है।

उद्योग निदेशालय उ० प्र० जिला उद्योग केन्द्र, गाजियाबाद।

लघु उद्योग/सहायक उपक्रम/लघु सेवा स्थापना/अति लघु इकाई के लिए अन्तिम पंजीकरण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं **इको प्रो इजीनियर्स प्रा० लि०**
स्वामित्व/साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड, सहकारी-सोसायटी/अन्य **डायरेक्टर श्री अमित कुमार सक्सेना**
कार्यालय पता **ए-26, अशोक नगर, गाजियाबाद**

का लघु उद्योग उपक्रम/लघु उद्योग सहायक उपक्रम/लघु सेवा स्थापना/अति लघु इकाई के रूप में नीचे दी गई संख्या एवं दिनांक अन्तिम पंजीकरण किया गया है :-

संख्या **0909014300/प्रस्ता/टायनी/08** दिनांक **30-9-2003**

फैक्ट्री स्थापना स्थान

पूरा 32/41, साउथ साइड आफ जी०टी०रोड औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद

निम्नलिखित वस्तुओं के निर्माण/संसाधन के लिए

वस्तुएं

1- **पोल्युथान कन्टोल डिवाइसिस एण्ड सेटिंग आफ एन्वायरमेन्टल लैबोरेट्री मात्र ।**

2-

अन्तिम पंजीकरण निम्नलिखित शर्तों पर आधारित है -

इकाई को उत्पादन के पूर्व प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त करना / महा प्रबन्धक
सहमति हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा । जिला उद्योग केन्द्र,
गाजियाबाद।

अन्तिम पंजीकरण केवल पाँच वर्ष के लिए वैध है।

यदि सभी प्रयासों के बावजूद भी उपक्रम अपने नियन्त्रण से बाहर किसी अपरिहार्य कारणों की वजह से उत्पादन शुरू न कर सकें तो अन्तिम पंजीकरण की अवधि बहुत ही विशेष परिस्थितियों में एक-एक वर्ष के लिए दो बार बढ़ाई जा सकती है।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है -

- (1) प्रार्थी को
- (2) सहायक प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, गाजियाबाद **श्री मलखान सिंह**
- (3) क्षेत्रीय प्रबन्धक उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
- (4) संयुक्त निदेशक उद्योग प० क्षेत्र मेरठ

महाकूर अली
महा प्रबन्धक

जिला उद्योग